जिला योजना (सामान्य)

संख्याः- 531 /I/2008-03(1)/21 /08

प्रेषक

सी0 भास्कर,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखंड ।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांक 17 अप्रैल, 2008

विषयः **वित्तीय वर्ष 2008–09 में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के लिये अनुदान की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–267/XXvii(1)/2008, दिनॉक 27–3–2008 एवं राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या– 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008, दिनॉक 24–3–2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को संलग्नक में वर्णित लेखाशीर्षकों में जनपदवार जिला सेक्टर मे रू0 46608–00 हजार (चार करोड छासठ लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1–जिलाधिकारी सुनिश्चित करेगें कि जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समितियों द्वारा अनुमोदित योजनावार एवं प्लान परिव्यय के अनुसार ही धनराशी कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेगें ।

2– व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, फाईनैन्सियल हैण्डबुक, स्टोर पर्चेज मूल्य मितव्ययता टैण्डर के विषय में निर्गत आदेश एवं अन्य के सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा, यदि कार्य पर स्वीकृति के पूर्व किसी तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता है, तो वे भी प्राप्त कर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार व्यय विवरण जिलाधिकारी के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, उरेडा द्वारा शासन को दिनॉक 31–3–2009 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित जनपद के परियोजनाधिकारी पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।

5– केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं पर केन्द्रांश एवं राज्याशं अवमुक्त किये जाने के बाद ही कोषागार से आवश्यक धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जिन योजनाओं में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होती है, उसे प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कर योजनावार प्राप्त केन्द्रांश की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी ।

— 2

10/4/08

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.3.2009 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा ।
8–जिलाधिकारियों द्वारा कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। समय से धनराशि का उपयोग न करने पर समस्बन्धित जिलाधिकारी के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी। भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को यथासमय प्रेषित कर दिया जायेगा।
9– जिलाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्तर–1 में वर्णित शासनादेश दिनॉक 27–3–2008 एवं 24–3–2008 में निहित शर्तो का अक्षरशः पालन किया जायेगा ।
10–उक्त शासनादेश दिनॉक 24–3–2008 की शर्त–4 के अनुसार रू0 50–00 लाख से अधिक की स्वीकृति सम्बन्धित मण्डलायुक्त से सहमति प्राप्त कर जारी की जायेगी. ।
11–नयें कार्यो पर व्यय करने से पूर्व इनके विस्तृत आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन एवं सक्षम स्तर से प्राप्त की जायेगी ।
12–सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और यदि नियमित रूप से शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक(मा0मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव)अर्थात् सक्षम स्तर को कार्यवाही करने हेतु अवगत कराया जायेगा ।
13–इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2810–वैकल्पिक ऊर्जा–आयोजनागत की संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत मानक मदो के नामें डाला जायेगा।
संलग्नः– यथोक्त ।

भवदीय,

(सी0 भास्कर)
अपर सचिव

संख्याः–531 /I/2008-03(1)/21/08, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखंड देहरादून ।
2– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखंड
3– निदेशक, उरेडा,देहरादून।
4– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
5– नियोजन विभाग/ वित्त अनुभाग–2 :
6– प्रभारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(सी0 भास्कर)
अपर सचिव

10/7/08

शासनादेश संख्या 53/1/2008-03(1)/ 21 /08, दिनॉक अप्रैल,2008 का संलग्नक

अनुदान संख्या-21 आयोजनागत

धनराशी रू0 हजार में

लेखाशीर्षक		धनराशि	DDn	HRD	THR	UKI	PRI	RDP	CHML	PTH	CHMP	ALM	BGR	NTL	USN
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2810-वैकल्पिक ऊर्जा-01-बायो ऊर्जा -103-जैवपिण्ड	अनुदान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 बायोमास आधारितयोजाओं हेतु उरेडा को सहायता	उपदान	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0
91-जिला योजनान्तर्गत उरेडा को सहायता -50-उपदान	योग	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0
02-सोलर इनर्जी-101-सोलर थर्मल कार्यक्रम	अनुदान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-सोलर इनर्जी कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता 91-उरेडा के लिये अनुदान(जिला योजना)	उपदान	4840	0	45	875	52	540	134	0	346	881	980	750	155	82
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता -50-उपदान	योग	4840	0	45	875	52	540	134	0	346	881	980	750	155	82
02-सोलर इनर्जी-102-सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम	अनुदान	10000	929	0	950	245	3495	910	3471	0	0	0	0	0	0
03-सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यकम हेतु उरेडा को सहायता	उपदान	12525	668	0	0	0	0	0	0	2945	3968	720	3020	811	269
91-उरेडा के लिये अनुदान(जिला योजना) 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता-50-उपदान	योग	22401	1597	0	950	245	3495	910	3471	2945	3968	720	3020	811	269
60-ऊर्जा के अन्य स्त्रोत-800-अन्य व्यय	अनुदान	17000	0	0	0	2325	0	2100	2000	1848	1950	4777	2000	0	0
01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	उपदान	771	0	0	0	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91-उरेडा/नेडा के लिये अनुदान(जिला योजना) 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता-50-उपदान	योग	17771	0	0	0	3096	0	2100	2000	1848	1950	4777	2000	0	0
60-ऊर्जा के अन्य स्त्रोत-800-अन्य व्यय-03-प्रशासनिक व्यय-	अनुदान	640	53	32	0	30	80	80	100	200	0	0	50	0	15
91-उरेडा/नेडा के लिये अनुदान(जिला योजना)	उपदान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	योग	640	53	32	0	30	80	80	100	200	0	0	50	0	15
60-ऊर्जा के अन्य स्त्रोत-800-अन्य व्यय	अनुदान	716	0	141	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	346
05-परियोजनाओं का कियान्वयन 91-उरेडा के लिये अनुदान(जिला योजना)	उपदान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	योग	716	0	141	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	346
योग	अनुदान	28356	982	173	950	2829	3575	3090	5571	2048	1950	4777	2050	0	361
	उपदान	18376	668	45	875	823	540	134	0	3291	4849	1940	3770	966	351
	योग	46608	1650	218	1825	3652	4115	3224	5571	5339	6799	6717	5820	966	712

कुल धनराशि रू0 46608 हजार (रू0 चार करोड छासठ लाख आठ हजार मात्र)

(सी0 भास्कर)
अपर सचिव